रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D(D)-72

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 237] नई दिल्ली, सोमवार, मई 8, 1978/वैशाख 18, 1900

No. 237] NEW DELHI, MONDAY, MAY 8, 1978/VAISAKHA 18, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 1978

का. आ. 310(अ)—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोक-हित में ऐसा अपेक्षित है कि (1) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, (2) श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, (3) कलावती सरन बाल अस्पताल, और (4) सफदरजंग अस्पताल की सेवाओं को, जिन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची में प्रविष्टि) द्वारा शामिल किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार

उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस-11017/8/78-डी. 1(ए)]

अ. उ. शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 1978

S.O. 310(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the (i) Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, (ii) Shrimati Sucheta Kripalani Hospital, (iii) Kalavati Saran Children's Hospital, and (iv) Safdarjang Hospital, which are covered by entry 9 in the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be public utility services for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[No. S-11017/8/DIA]

A. U. SHARMA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978